कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 09/2018 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री रवि कुमार पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं0 03, गिलवाला तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

——प्रत्यार्थी

आदेश दिनांकः—13.03.2018

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी के विरूद्ध प्राप्त हुई।

अपीलार्थी स्वयं उपस्थित। अपीलार्थी ने ऐतराज प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें तथ्य अंकित किये है कि तहसीलदार द्वारा सूचना आधी अधूरी प्रस्तुत की है। हल्का पटवारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई इस संबंध में कोई स्पष्ट विवरण नही दिया गया है। तहसीलदार से स्पष्ट सूचना दिलाई जाने हेतु प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टिब्बी से पत्र कमांक 657 दिनांक 12.03.2018 द्वारा जबाव प्राप्त हुआ हैं।

पत्रावली तथा अपीलार्थी के ऐतराज प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में यह कथन अंकित करना कि सूचना आधी अधूरी दी गई हैं। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टिब्बी के पत्र कमांक 657 दिनांक 12.03.2018 का अवलोकन करने से उनके द्वारा पत्र कमांक 481 दिनांक 16.02.2018 से सूचना अपीलार्थी को डाक द्वारा प्रेषित किया जाना पाया गया है। तहसीलदार टिब्बी के उक्त पत्र कमांक 657 दिनांक 12.03.2018 के साथ संलग्न नोटिस कमाक 655 दिनांक 09.03.2018 की सूचना अपीलार्थी को नही दिया जाना प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टिब्बी को निर्देश दिये जाते है कि नोटिस कमांक 655 दिनांक 09.03.2018 की सूचना अपीलार्थी को सूचना का अधिकारी अधिनियम के तहत नियमानुसार दी जावे। अपीलार्थी की वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official